रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072022-237198 CG-DL-E-08072022-237198

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2988] No. 2988] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2022/आषाढ़ 17, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2022/ASHADHA 17, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई ,2022

का.आ. 3142(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा 'बिहार विद्युत नियामक आयोग', (पैनः-AAALB1099E), बिहार की राज्य सरकार के द्वारा संस्थापित आयोग को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित करती है, अर्थात:-

- (क) विद्युत के लाइसेंस धारकों से लाइसेंस फीस के रुप में प्राप्त राशि;
- (ख) आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के रुप में प्राप्त राशि; और
- (ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) तथा सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि बिहार विद्युत नियामक आयोग :-
 - (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

4618 GI/2022 (1)

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा यह वित्त वर्षों 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसुचना सं. 81/2022/फा. सं. 300196/14/2021-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2022

- **S.O.** 3142(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Bihar Electricity Regulatory Commission' (PAN AAALB1099E), a Commission constituted by the State Government of Bihar, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:
 - (a) amount received as licence fee from licensees in electricity;
 - (b) amount received as application processing fee; and
 - (c) Interest earned on Government Grants and on (a) & (b) above.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Bihar Electricity Regulatory Commission:-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2021-2022 and shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification No. 81/2022/F. No. 300196/14/2021-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.